

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 178/2017

दर्ज दिनांक: 22/12/2017

निर्णय दिनांक : 15/02/2018

स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राव राजपूत, निवासी: ग्राम पावसू, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

— प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा



उपस्थित:

श्री सीताराम सैनी एडवोकेट


विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

निर्णय दिनांक: 15/02/2018

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी संख्या 154 के आराजी खसरा नंबर 617/151 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके ग्राम पावसू, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमें वादी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्त है, उक्त आराजी वरवक्त रघुनाथ सिंह के देहान्त के पश्चात वादी एवं वादी के भाईयो के विरासत का नामान्तरण खुला उस समय वादी नाबालिग था एवं वादी को


उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

गांव में बचपन में रामस्वरूप सिंह नाम से पुकारने से उक्त विरासत व अन्य आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह की जगह रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह दर्ज हो गया उक्त राजस्व रिकॉर्ड में रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह के स्थान पर स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह किया जाना न्यायोचित है। रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह व स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह जाति राव राजपूत, ग्राम पावसू, तहसील फागी में एक ही व्यक्ति है इस नाम के अलावा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि वादी का मतदाता पहचान पत्र, आधारकार्ड एवं ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र एवं अन्य आराजी खाता संख्या 9, 12, 13, 14, 15 में वादी का नाम स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह सही है इसलिये वादी का नाम रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह की जगह स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है इसलिये वादी उक्त आराजीयात की घोषणा करवाने एवं दुरुस्ती इन्द्राज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी ने उक्त आराजीयात को काफी पैसा खर्च कर समतल व उपजाऊ बना लिया है उक्त आराजीयात के वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है लेकिन राजकीय कर्मचारियों के सहवन से एवं वादी के अनपढ़ व काश्तकार होने से उक्त सही नाम की जानकारी नहीं हुयी एवं वादी को रामस्वरूप व स्वरूप के नाम से पुकारते थे इसलिये दोनो ही नामों से उक्त आराजी में नाम भी अलग-अलग हो गये जबकि वादी का नाम स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह सही है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में वादी अपना नाम रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह के स्थान पर स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह करवाने का कानूनन अधिकारी है। अभी हाल ही में दिनांक 23.06.2017 को वादी ने अपनी खातेदारी भूमि का किसान कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकले प्राप्त करने पर अपने नाम की जानकारी हुई पटवारी हल्का द्वारा कहा गया कि आपका नाम रिकॉर्ड में रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह है जबकि सही नाम स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह है जिसको सक्षम न्यायालय में आदेश करवाने बाबत कहा गया इसलिये मान्य न्यायालय में वादी द्वारा उक्त वाद घोषणा व दुरुस्ती इन्द्राज का दावा पेश कर दिया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07.11.2017 को डिक्री हो गया लेकिन भूलवश सहवन से पूर्व वाद में उक्त



उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

खसरा नंबर रह गये एवं उक्त संशोधन नहीं हो सका जब माननीय न्यायालय की डिक्री से नामान्तकरण खुलवाने गया तो उक्त खसरा नंबर की जानकारी हुई जिसकी दिनांक 15.12.2017 को नकल लेकर माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादी ने दावा के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित कर अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावे कि वाद में वर्णित अनुसार आराजी में वादी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकॉर्ड में रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह के स्थान पर स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह दुरुस्त किया जाकर पालना बाबत तहसीलदार फागी को आदेश फरमाया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी की आराजीयात में किसी प्रकार से उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करे, न ही अन्य किसी हाली सीरी, एजेन्ट सर्वेन्ट से करावे।


प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी जारी की गई। दिनांक 08.02.2018 को प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया। वकील वादी ने साक्ष्य में वादी स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथसिंह का शपथ पत्र पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, फोटोप्रति पहचान पत्र, फोटोप्रति आधारकार्ड, फोटो प्रति निर्णय डिक्री दिनांक 07.11.2017 वाद संख्या 78/17 स्वरूप सिंह बनाम तहसीलदार फागी, शपथ पत्र वादी इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामस्वरूप सिंह दर्ज रिकॉर्ड है।

वादी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम रामस्वरूप सिंह के स्थान पर स्वरूप सिंह दर्ज करवाना चाहा है।




उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)


वादी के अनुतोष पर मनन किया गया। बाद मनन यह पाया गया कि पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति पहचान पत्र एवं फोटो प्रति आधारकार्ड में वादी का नाम स्वरूप सिंह दर्ज है।

प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों पर गौर व मनन करने एवं पत्रावली के समस्त दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर मेरे द्वारा वादी वाद स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह को हजफ कर इसके स्थान पर स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 617/151 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पावसू, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह को हजफ कर इसके स्थान पर स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास-सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह

बनाम

तहसीलदार फागी

::- वाद घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा ::-

मुकदमा नं० - 178/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु वकील वादी हाजिरी रुबरु प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खसरा नंबर 617/151 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा ग्राम पावसू, तहसील फागी, जिला जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज रामस्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह को हजफ कर इसके स्थान पर स्वरूप सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....का अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15/02/2018 को जारी की गई



दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)